न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

प्रार्थना पत्र संख्या ::– 107/2022

1 नारायण पुत्र श्री बालू धाकड निवासी धाकडखेडी तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2 छीतर पुत्र श्री बालू धाकड निवासी धाकडखेडी तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3 मंगीलाल पुत्र श्री रामा धाकड निवासी धाकडखेडी तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1 उंकार लाल पुत्र श्री नन्दा धाकड निवासी नीलिया तह0 बेगूँ
2 कमलीबाई पुत्री श्री नन्दा धाकड निवासी नीलिया तह0 बेगूँ
3 गीता पुत्री श्री भैरू धाकड निवासी नीलिया तह0 बेगूँ
4 घीसालाल पुत्र श्री भैरू धाकड निवासी नीलिया तह0 बेगूँ
5 टेकूबाई पत्नी श्री भैरू धाकड निवासी नीलिया तह0 बेगूँ
6 देवा पुत्र नन्दा धाकड निवासी नीलिया तह0 बेगूँ
7 देबीलाल पुत्र श्री नन्दा धाकड निवासी नीलिया तह0 बेगूँ
8 नारायणीबाई पुत्री श्री नन्दा धाकड निवासी नीलिया तह0 बेगूँ
9 श्रीमती पन्नी पत्नी श्री उंकार धाकड निवासी नीलिया तह0 बेगूँ
10 बरजी बाई पुत्री श्री नन्दा धाकड निवासी नीलिया तह0 बेगूँ
11 बरदी बाई पुत्री श्री नन्दा धाकड निवासी नीलिया तह0 बेगूँ
12 माधु पुत्र श्री भैरू धाकड निवासी नीलिया तह0 बेगूँ
13 रूपा पुत्र भैरू धाकड निवासी नीलिया तह0 बेगूँ
14 लीला पुत्री भैरू धाकड निवासी नीलिया तह0 बेगूँ
15 शंकरलाल पुत्र भैरू धाकड निवासी नीलिया तह0 बेगूँ
16 श्यामलाल पुत्र भैरू धाकड निवासी नीलिया तह0 बेगूँ
17 सुगना पुत्री भैरू धाकड निवासी नीलिया तह0 बेगूँ
18 आमल्दा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड नन्दवाई जिला चितौडगढ
09 बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नन्दवाई तहसील बेगूँ
20 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
21 उप पंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, बेगूँ जिला चितौडगढ़

विपक्षीगण

उपस्थित ::– श्री देवेन्द्र प्रसाद
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री कैलाश चन्द्र मंत्री
अधिवक्ता विपक्षीगण

आदेश दिनांक ::– 18.11.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण/वादीगण ने इस न्यायालय में एक वादपत्र प्रस्तुत किया है जिसके निस्तारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया है कि प्रार्थीगण जो कि रामा पुत्र श्री नन्दा धाकड निवासी धाकडखेडी के वारीसान होकर रामा जी धाकड के परिवार का पारीवारिक सजरा निम्न प्रकार से है :–

रामा पुत्र श्री नन्दा धाकड फोत

बालू पुत्र फोत — मांगीलाल पुत्र वादी–3

नारायण पुत्र वादी–1 छीतर पुत्र वादी–2

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि सरहद नीलिया पटवार हल्का माधोपुर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिछोर में आराजी नम्बर 46 रकबा 2.3100 हैक्टर , आराजी नम्बर 47 रकबा 0.8900 हैक्टर, आराजी नम्बर 48 रकबा 1.1600 हैक्टर भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 से लगायत 17 के नाम पर गलत तौर पर अभिलिखित है। उक्त आराजीयात को वाद में आगे विवादित आराजीयात के नाम से संबोधित किया जायेगा।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित आराजीयात के सावेक आराजी नम्बर 17/4 रकबा 15 बीघा होकर प्रार्थीगण के दादा रामा पुत्र नन्दा धाकड निवासी धाकडखेडी के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण संख्या 01 एवं 02 के दादा व प्रार्थी संख्या 03 के पिता रामा जी धाकड काबिज थे व उनके देहान्त उपरान्त उनके पुत्र बालू एवं मांगीलाल काबिज हुए, बालू का देहान्त हो चुका है, जिसके वारीस प्रार्थी संख्या 01 एवं 02 होकर प्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 03 में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि आराजीयात होकर प्रार्थीगण का जन्म से हक अधिकार निहित होकर प्रार्थीगण निर्बाध रूप से आमजन व पक्षकारो की जानकारी में निरन्तर रूप से कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है व आज भी प्रार्थीगण का ही कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। आज भी प्रार्थीगण काबिज है।

यह कि दिनांक 20 अगस्त 2022 दो हजार बाईस को विपक्षीगण को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन बेदखल करने की कोशिश की इस प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को कहा कि उक्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थीगण काबिज है। लेकिन विपक्षीगण मानने को तैयार नहीं हुए व विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को धमकी दी कि उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षीगण के नाम पर दर्ज है इस कारण से प्रार्थीगण को बेदखल करके रहेगें व आराजीयात को अन्य को रहन विक्रय हस्तान्तरण करके रहेगें। जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं है।

यह कि इस पर प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो पता चला कि वादग्रस्त आराजीयात जिसके सावेक आराजी नम्बर 17/4 जो कि प्रार्थीग्ण के दादा व पिता रामा पुत्र नन्दा जी धाकड के नाम पर दर्ज थी व प्रार्थीगण के दादा व पिता रामा जी धाकड जो कि धाकडखेडी के निवासी होकर राजस्व जमाबंदी में भी धाकडखेडी अंकित कर रखा है व विपक्षीगण व उनके पूर्वज जो कि ग्राम नीलिया के रहने वाले है तथा विपक्षीगण व उनके पूर्वजो का उक्त वादग्रस्त आराजीयात से कोई हक संबंध नहीं होने के बावजूद भी दौराने सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारीयो द्वारा लापरवाही पूर्व बिना पंजीकृत दस्तावेज/बिना सक्षम न्यायालय के आदेश से प्रार्थीगण के पूर्वज की खातेदारी को विलोपित कर विपक्षीगण व उनके पूर्वजो के नाम पर दर्ज कर दी जो कालान्तर में विपक्षी संख्या 01 लगायत 17 के नाम पर गलत रूप से दर्ज चली आ रही है। इस प्रकार प्रार्थीग्ण के पिता व दादा रामा जी की खातेदारी भूमि गलत रूप सें विपक्षी संख्या 1 से 17 के नाम व उनके पूर्वाधिकारीयो के नाम पर दर्ज हुई है।जबकि राजस्व कर्मचारीयो/ अधिकारीयो को केवल प्रवृष्ठि को हुबुहु अंकित करना था, न कि खातेदारी अधिकार विलोपित करना था। राजस्व कर्मचारीयो/अधिकारीयो द्वारा पंजीकृत दस्तावेज सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना गलत तौर पर प्रार्थीगण के पूर्वजो की खातेदारी को विलोपित की है जो विधि विरूद्ध होकर दुरूस्त योग्य है।

यह कि उक्त गलत इन्द्राज की प्रार्थीगण को जानकारी होने पर प्राथ्रीगण द्वारा विपक्षी संख्या 01 लगायत 17 को उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करा उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज कराने हेतु निवेदन किया लेनि विपक्षी संख्या 1 से लगायत 17 हर बार टालमटोल करते चले आ रहे है व दिनांक 25 नवम्बर, 2022को उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज कराने हेतु कहने पर विपक्षीगण ने साफ तौर पर इंकार कर दिया। इस कारण से प्रार्थीगण को यह वादपत्र पेश करने की अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से यह वादपत्र पेश करने की नौ बत पेश आयी है।

यह है कि यदि विपक्षी संख्या 1 से लगायत 17 प्रार्थीण को उक्त गलत इन्द्राज की आड में वादग्रस्त आराजीयात में जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देगें व विपक्षीगण के नाम पर उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में अंकन होने का नाजायज फायतदा उठाकर उक्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन विक्रय हस्तान्तरण /खुर्द बुर्द कर देगें तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी व प्रार्थीग्ण अपनी आराजीयात से वंचित हो जायेगी। जिसकी पूर्ति धनराश से पूरी की जाना कतई संभव नहीं होगा। इस कारण से प्रार्थीगण के पक्ष मे एवं विपक्षीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है विपक्षीगण प्रार्थीग्ण को वादग्रस्त आराजीयात सरहद नीलिया पटवार हल्का माधोपुर भू अभिलखे निरीक्षक क्षेत्र बिछोर में आराजी नम्बर 46 रकबा 2.3100 हैक्टर , आराजी नम्बर 47 रकबा 0.8900 हैक्टर, आराजी नम्बर 48 रकबा 1.1600 हैक्टर से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करें और न ही किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करें और न ही किसी अन्य से करावें।

यह कि सरहद नीलिया पटवार हल्का माधोपुर भू अभिलेख निरीक्षक बिछोर में आराजी नमबर 46 रकबा 2.3100 हैक्टर , आराजी नम्बर 47 रकबा 0.8900 हैक्टर, आराजी नम्बर 48 रकबा 1.1600 हैक्टर भूमि जो कि प्राथीगण की पुश्तैनी भूमि है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

गलत तौर पर विपक्षी संख्या 1 से 17 तक व उनके पूर्वाधिकार के नाम पर दर्ज हुई है प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड इन्द्राज दुरूस्ती करा विपक्षी संख्या 1 से 17 का नाम विलोपित करा उक्त आराजीयात के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है, तदनुसार घोषणात्मक डिक्री प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षी सं01 से 17 सादि फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है ।

यह है कि वादीगण प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है और सुविधा का संतुलन भी वादीगण प्रार्थीगण के पक्ष में है और यदि ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं फरमायी गयी और विपक्षी संख्या 1 लगायत 17 वादीगण प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल कर देगा व आराजीयात को किसी अन्य को रहन विकय हस्तांतरण/खुर्द बुर्द कर देगा तो वादी प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नहीं होगा।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि विपक्षीगण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में सरहद नीलिया पटवार हल्का माधोपुर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिछोर में आराजी नम्बर 46 रकबा 2.3100 हैक्टर, आराजी नम्बर 47 रकबा 0.8900 हैक्टर, आराजी नम्बर 48 रकबा 1.1600 हैक्टर से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करें और नही किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थीग्ण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और नही किसी अन्य से करावे व न ही वादग्रस्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन विकय हस्तांतरण /खुर्द बुर्द करें तथा न ही किसी अन्य से करावे तथा न ही वादग्रस्त आराजीयात के विकय/हस्तांतरण संबंधी दस्तावेज तैयार कर उनका पंजीयन करावे तथा विपक्षी संख्या 21 भी विपक्षी संख्या 1 से लगायत 17 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के विकय/हस्तांतरण संबंधी दस्तावेज पेश करने पर उनका पंजीयन नहीं करें तथा विपक्षी संख्या 20 राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं करें तथा प्रार्थीगण को शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में विपक्षीगण संख्या 1 से 17 की ओर से मूल वाद में अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र मंत्री द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर चाहा जबकि प्रकरण में विपक्षी संख्या 18 व 19 बावजूद सूचना के उपस्थित न होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। विपक्षी संख्या 1 से 17 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कलम संख्या 1 को गलत बताते हुए प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मिथ्या एवं भ्रामक तथ्यों पर आधारित होकर प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य बताया है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 को जानकारी के अभाव में अस्वीकार करते हुए रामा जी की व बीलू की पुत्रियों का अंकन नहीं किया जाने से सजरा अपूर्ण होना बाताया है।

प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 का जवाब इस प्रकार है कि इस कलम वर्णित आराजीयात विपक्षीगण की पुश्तैनी मिल्कियत एवं कब्जे काश्त की होकर राजस्व अभिलेख में विपक्षीगण के नाम सही दर्ज हैं। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार है। साबिक आराजी संख्या 17/4 रकबा 15 बीधा भूमि रामा पुत्र नंदा धाकड के नाम दर्ज रेकार्ड नहीं है। विगत 60 वर्षो से कभी भी प्रार्थीगण या प्रार्थीगण का परिवार इस भूमि पर काबिज नहीं रहा है। इस भूमि पर विपक्षीगण के परिवार का स्वामित्व एवं कब्जा है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5गलत होकर अस्वीकार है। विगत 60 वर्षो से कभी भी प्रार्थीगण या प्रार्थीगण का परिवार इस भूमि पर काबिज नहीं रहा है। इस भूमि पर विपक्षीगण के परिवार का स्वामित्व एवं कब्जा है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिवार का कभी भी विगत 60 वर्षो से इस भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं आज भी नहीं है। प्रार्थीगण के पिता व दादा रामा पिता नंदा धाकड एवं नाथूसिंह पिता इन्द्रसिंह राजपूत निवसी नंदवाई ने वर्ष 1965 में न्यायालय श्रीमान में इसी भूमि का विपक्षीगण के पूर्वजो के विरूद्ध कब्जेयाबी का वादपत्र इस भूमि पर विपक्षीगण /प्रतिवादीगण का कब्जा मानते हुए प्रस्तुत किया था जिसके प्रकरण संख्या 29 सन 1965 थे एवं वह कब्जेयाबी का वाद वादीगण सिद्ध नहीं होने से दिनिंक 17.03.1967 को खारिज हुआ था। इससे प्रमाणित है यह भूमि विगत 60 वर्षो से भी अधिक समय से विपक्षीगण के कब्जे काश्त में है एवं प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र एवं वादपत्र कब्जे के अभाव में चलने योग्य नहीं होकर निरस्त योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 07 गलत होकर अस्वीकार है। जब भूमि पर विगत 60 वर्षो से विपक्षीगण परिवार का कब्जा काश्त एवं स्वामित्व है तो प्रार्थीगण को भूमि बाबत किसी प्रकार की धमकी दिये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगगण ने मनगढन्त तथ्य अंकित किये हैं।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 8 गलत होरक अस्वीकार है। वाद वर्णित भूमि विपक्षीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य एवं वैध कब्जे काश्त की है एवं सही रूप से विधि प्रकिया के आधार पर ही विपक्षीगण के पूर्वजो के नाम अंकित थी जो आज भी विपक्षीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। स्वयं प्रार्थीगण के पूर्वज रामा पिता नंदा ने न्यायालय श्रीमान में पूर्व में चले वाद में भूमि पर कब्ज काश्त प्रतिवादीगणके पूर्वजो का माना है एवं उनकी ओर से प्रस्तुत वाद कब्जेयाबी का निरस्त हुआ है। इतना ही नहीं स्वयं वादीगण के पूर्वज ने यह भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजो को बिल एवज 1500रु/– में विकय किया जाना एवं भूमि पूर्व से प्रतिवादीगण के पूर्वजो के कब्जे काश्त में होना स्वीकार किया है जिससे प्रार्थीगण/वादीगण पर विबंधन का सिद्धान्त लागू होता है एवं वे अपनी पूर्व में कही हुई बात से भिन्न बात नहीं कहने हेतू कानूनन पाबंद है जिससे प्रार्थना पत्र एवं वाद वादीगण निरस्त योग्य है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

प्रार्थना पत्र की कलम संया 9 गलत होकर अस्वीकार है। इस कलम मे वर्णित तथ्य वादी ने काल्पनिक अंकित किये है इस बावत प्रार्थीगण द्वारा कभी भी विपक्षीगण से कोई बातचीत नहीं हुई है। कलम संख्या 10 गलत होरक अस्वीकार है। जब भूमि अर्सा कदीम से 60 वर्ष से अधिक समय से विपक्षीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है तो प्रार्थीगण को बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है न ही प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति होने का प्रश्न ही पैदा होता है। प्रार्थीगण ने बदनियति पूर्वक विपक्षीगण से भूमि हडपने एवं विपक्षीगण से नाजायज लाभ प्राप्त करने की गरज से यह झूंठा एवं बेबुनियाद प्रार्थना पत्र एवं वादपत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 11 गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थीगण /वादीगण वाद वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में किसी प्रकार की डिकी कब्जे एवं स्वामित्व के अभाव में प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 12 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न तो प्रथम दृष्टया प्रमाणित है एवं न ही कब्जे एवं खातेदारी के अभाव में वे वर्तमान खातेदार काबिज के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पत्रावली में पेश किये जाने के उपरान्त प्रार्थना पत्र 212 राज0काश्त0अधि0 पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता प्राथीगण द्वारा अपनी बहस को प्रार्थना पत्र के अनुसार करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र में जो सजरा बनाया गया है उसमें रामा पुत्र नन्दा के वारिसान नारायण ,छीतर व मांगीलाल है, सम्वत 2022 में रामा पुत्र नन्दा का नाम है। प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजी में सेटलमेन्ट से पूर्व हमारा नाम था इन्द्राज दुरूस्ती से गलती से नाम हटा दिया गया है, इस सम्बन्ध मे वादपत्र मेरे द्वारा प्रस्तुत किया है किन्तु खाते में विपक्षीगण का नाम होने से वे भूमि को खुर्द बुर्द कर देगें इसलिए विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक हैं । प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें। बहस में अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस को जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार निवेदन करते हुए कहा कि वर्णित भूमि 60 वर्षो से विपक्षी के नाम पर है, तथा प्रार्थीगण द्वारा 1965 में भी ऐसा प्रयास किया था, विपक्षीगण खातेदार है तथा कृषि भूमि पर 60 वर्षो से काबिज है, किसी भी खातेदार को उसके कब्जे काश्त की भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्द कराने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र पर सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया, प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु मुख्य तीन बिन्दु जो प्रतिपादित है उन पर निर्णय किया जाना होता है, जो दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार निम्न प्रकार से किया जाता है :—

1— <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> ::—

पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा नीलिया प0ह0 माधोपुर सम्वत 2059से 2062 का अवलोकन किया गया, जिसमें प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजी के खाता संख्या 16 में दर्ज आराजी संख्या 46 रकबा 2.3100 हैक्टर , आराजी नम्बर 47 रकबा 0.8900 हैक्टर, आराजी नम्बर 48 रकबा 1.1600 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री नन्दा पिता भोला 1/2 माधु रूपा गीता घीसालाल लीला श्यामलाल सुगना शंकरलाल पिता भैरू मु.ठेकूबाई बेवा भैरू 1/2 हि.ब. धाकड सा.देह के नाम पर खातेदारी मे दर्ज है। जमाबंदी मे नोट है कि ना.सं. 180/8.10.2003 से बून्दी चितौडगढ ग्रा. बैंक शाखा नन्दवाई के नाम श्री नन्दा पिता भोला धाकड की 1/2 दर्ज। इसी प्रकार यही आराजी संख्या खाता संख्या 22 में दर्ज आराजी संख्या 46 रकबा 2.3100 हैक्टर , आराजी नम्बर 47 रकबा 0.8900 हैक्टर, आराजी नम्बर 48 रकबा 1.1600 हैक्टर भूमि श्री नन्दा पिता भोला 5/12, देवा पिता नन्दा ,देवीलाल पिता नन्दा श्रीमती पन्नी पति उंकार हिस्सा 1/12, माधू रूपा घीसालाल श्यामलाल शंकरलाल गीता सीता सुगना पिता भैरू मु.ठेकुबाई बेवा भैरू 1/2 हि.ब.दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2055 से 2058 तक में यही आराजी संख्या 46, 47 व 48 के खातेदार श्री नन्दा, भैरू पिता भोला धाकड हि.ब. सा.देह खातेदार दर्ज अंकित है। इस जमाबंदी में भैरू के फोत होने पर उनके वारिसान के नाम पर नामान्तरण खोलने का नोट अंकित है। जमाबंदी सम्वत 2031 से 34 में यह आराजी संख्या 46, 47 व 48श्री भोला पिता भज्जा नन्दा भैरू पिता भोला धाकड के नाम पर दर्ज थी। इसी प्रकार सम्वत 2034 से 2034 में यह आराजी श्री भोला पिता भज्जा व नन्दा भेरू पिता भोला के नाम दर्ज थी। पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा नीलिया सम्वत 2063 से 2066 में आराजी संख्या 46, 47 व 48 श्री नन्दा पिता भेला 5/12, श्रीमति संतोष देवी पत्नि देवा हि. 1/12, माधु रूपा गीता घीसालाल लीला श्यामलाल सुगना शंकरलाल पिता भैरू मु. टेकूबाई बेवा भैरू 1/2 हि.ब. धाकड सा.देह खातेदार दर्ज अंकित होकर नोट लगा हुआ है कि नामा.सं. 145 दिनांक 07.05.2007विकय से श्रीमति संतोष देवी पत्नि देवा हित्र 1/12 के स्थान पर श्री देवा पिता नन्दा श्रीमति पन्नी पत्नि उंकार 1/12, सा.नीलिया के नाम परिवर्तित की स्वीकृति हुई।

इस प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजी मौजा नीलिया प.ह.माधोपुर की आराजी संख्या 46 रकबा 2.3100 हैक्टर , आराजी नम्बर 47 रकबा 0.8900 हैक्टर, आराजी नम्बर 48 रकबा 1.1600 हैक्टर भूमि के गत आराजी नम्बर 17/4 होना प्रार्थना पत्र में प्राथीगण ने अंकित किया है तथा प्रार्थना पत्र पर बने हुए सजरे के अनुसार रामा पिता नन्दा के वारिसान होना अंकित किया है। पत्रावली में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी की नकल में अंकित आराजी संख्या 17/4 रकबा 15 बीघा भूमि में श्री रामा पिता नन्दा धाकड सा.देह

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible] (चित्तौड़गढ़)

खातेदार दर्ज किया अंकित है। इसके अलावा अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा एक निग्रय न्यायालय एस.डी.ओ. गूं के प्रकरण संख्या 29/65 में नकल पंजीकृत विक्रय विलेख की प्रस्तुत की है। जिसका भी हमारे द्वारा अवलोकन किया गया, इन सभी दस्तावेज के अवलोकन से पाया कि प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजी जिसके गत आराजी संख्या 17/4 थे वह प्रार्थीगण के पूर्वज रामा पिता नन्दा के नाम पर होना अंकित पाया गया है, प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि को अपने नाम पर घोषित कराये जाने का वादपत्र भी इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया हुआ है, इससे पूर्व यदि विपक्षीगण अपने खातेदारी में इस भूमि का नाजायज लाभ उठाते हुए कृषि आराजी को खुर्द बुर्द कर देते है तो निश्चित ही प्रार्थीगण को क्षति होगी तथा उनका वादपत्र लाना भी व्यर्थ होगा , भूमि प्रार्थीगण/वादीगण के नाम आती है या नहीं आती है यह सभी तथ्य मूल वादपत्र में साक्ष्य सबूत के आधार पर ही निर्णित किये जावेगे किन्तु इससे पूर्व प्रश्नगत भूमि को विपक्षीगण खुर्द बुर्द न करें इस हेतु प्रार्थीगण उन्हें पाबंद करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। इस प्रकार दस्तावजी साक्ष्य अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

2— सुविधा का सन्तुलन ::—

प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजी मौजा नीलिया प.ह.माधोपुर की आराजी संख्या 46 रकबा 2.3100 हैक्टर , आराजी नम्बर 47 रकबा 0.8900 हैक्टर, आराजी नम्बर 48 रकबा 1.1600 हैक्टर भूमि के गत आराजी नम्बर 17/4 होना प्रार्थना पत्र में पाया गया है, यह वर्तमान कृषि आराजी विपक्षीगण संख्या 1 से 17 के खातेदारी में दर्ज है, किन्तु वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण गत आराजी नम्बारान से ही अपना कब्जा होना बताते है, यदि विपक्षीगण द्वारा कृषि भूमि उनके खातेदारी में होने का लाभ उठाते हुए खुर्द बुर्द कर दी गई तो प्रार्थीगण उक्त भूमि के उपयोग उपभोग से वंछित हो जायेगे तथा उनका इस न्यायालय मे वाद लाना भी व्यर्थ होगा, साथ ही प्रार्थीगण को आर्थिक क्षति होगी। जबकि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो उन्हें कोई क्षति नहीं होती है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

3— अपूर्णनीय क्षति ::—

नीलिया प.ह.माधोपुर की आराजी संख्या 46 रकबा 2.3100 हैक्टर , आराजी नम्बर 47 रकबा 0.8900 हैक्टर, आराजी नम्बर 48 रकबा 1.1600 हैक्टर भूमि के गत आराजी नम्बर 17/4 होना वर्णित है जिसके अनुसार यह भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में है किन्तु वर्णित कृषि भूमि के खातेदार विपक्षीगण संख्या 1 से लगायत 17 तक है, इस कृषि भूमि को अपने खातेदारी मे दर्ज कराने हेतु एक वादपत्र प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा न्यायालय मे प्रस्तुत किया है, किन्तु यदि प्रश्नगत भूमि विपक्षीगण के खातेदारी में दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाते हुए भूमि विपक्षीगण द्वारा अन्य को विक्रय कर दी गई या खुर्द बुर्द करदी गई तो निश्चित ही प्रार्थीगण को आर्थिक क्षति होगी जिसका मुल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। यदि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो उन्हें कोई क्षति नहीं पहुँचती है। इस प्रकार यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार यह तीनों ही मुख्य बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हुए है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण संख्या 1 से 17 तक को मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे मौजा नीलिया प.ह.माधोपुर की आराजी संख्या 46 रकबा 2.3100 हैक्टर, आराजी नम्बर 47 रकबा 0.8900 हैक्टर, आराजी नम्बर 48 रकबा 1.1600 हैक्टर प्रार्थीगण को जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करें और न ही किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा न करे और न ही किसी अन्य से करावे व न ही वादग्रस्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन विक्रय हस्तांतरण /खुर्द बुर्द करें तथा न ही किसी अन्य से करावे तथा न ही वादग्रस्त आराजीयात के विक्रय/हस्तांतरण संबंधी दस्तावेज तैयार कर उनका पंजीयन करावे ।

आदेश आज दिनांक 18.11.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ